

11-11-21 फ़ावली पेश हुयी। उभयपक्ष के वकील उपस्थित।  
वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने पहचान स्वरूप  
आधार कार्ड सं. 238008756139 की स्व-  
हस्ताक्षरित फोटो प्राने पेश की। वकील वादी  
ने प्रकरण में Not Press जाही किया।



कै लक्ष्मी  
शर्मा  
Not Press  
X/100

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

कैलाश चन्द

बनाम

मोतीलाल

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

कदमा :- 88, 89, 188 A-T. Act


नंबर ..... 7 ..... वर्ष 2015

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है

पश्चावली फेंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)